न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 39/2016

गोपी भाट पुत्र स्व0 अन्ना जाति जाचक निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील एवं जिला अजमेर।

..........**अपीलार्थी**

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र स्व0 मांगू आयु 53 वर्ष जाति जांचक निवासी ग्राम हाथीखेडा (अजमेर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। .... **प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश सिंह रावत — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 12.04.2018**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 02 अजमेर के दिवानी वाद संख्या 11/15 में पारित डिक्री/आदेश दिनांक 22.7.2015 के द्वारा ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नं0 344, 424, 425, 426, 428, 429, 430 बाबत बैनामा दिनांक 01.07.1991 को निरस्त समझा जाने का आदेश पारित किया गया के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा आदेश दिनांक 9.12.2015 से इस आक्षेप के खारिज किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.4.93 निरस्त होने पर ही अपीलार्थी के नाम इन्द्राज हो सकेगा। नामान्तरकरण निरस्त होने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय स्तर से अपेक्षित है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। गई। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दू पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया। उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषक की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि ग्राम माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 02 अजमेर के दिवानी वाद संख्या 11/15 में पारित डिक्री/आदेश दिनांक 22.7.2015 के द्वारा ग्राम हाथीखेडा की प्रश्नगत भूमि बाबत बैनामा दिनांक 01.07.1991 को निरस्त समझा जाने का आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नं0 344, 424, 425, 426, 428, 429, 430 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी आराजी भूमि जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा निहित है एवं संयुक्त खातेदारों के नाम दर्ज है जो वर्तमान में खाता संख्या 60 में गोपी पि0 अन्ना 1/4 हिस्सा व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। नेमीचन्द पुत्र मांगू द्वारा दिनांक 1.7.1991 को अपने नाम छलपूर्वक एक विक्रय पत्र स्वयं

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

12.4.18

जिला कलक्टर
अजमेर

के पक्ष में बिना अपीलान्ट की सहमति व अनुमति के निष्पादित करवाया है जिसको न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 22.7.2015 द्वारा निरस्त कर डिक्री अपीलान्ट के पक्ष मे जारी की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को इस डिक्री/आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश की अवहेलना करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार अजमेर का पारित आदेश दिनांक 9.12.2015 न्याय नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाया जाकर सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश दिनांक 22.7.2015 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में उपस्थित पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 अजमेर द्वारा दिवानी वाद संख्या 11/15 में पारित डिक्री/आदेश दिनांक 22.7.2015 के द्वारा ग्राम हाथीखेडा के बैनामा दिनांक 01.7.1991 को निरस्त समझा जाने का आदेश पारित किया गया है। निर्णय प्रति के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित खसरा नम्बर वर्किंग जमाबन्दी के है जो खाता संख्या 60 में गोपी पि0 अन्ना 1/4 हिस्सा व अन्य के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.4.1993 के द्वारा पूरे खाते पर गोपी वल्द अन्ना 1/4 हि0 के स्थान पर नेमीचन्द पि0 मांगू 1/4 हिस्सा का इन्द्राज दर्ज है तथा नेमीचन्द द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेचान किया गया है। इसलिए सक्षम न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.4.1993 निरस्त होने पर ही अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने का पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 अजमेर द्वारा दिवानी वाद संख्या 11/15 में पारित डिक्री/आदेश दिनांक 22.7.2015 के द्वारा ग्राम हाथीखेडा की विवादित भूमि से सम्बन्धित बैनामा दिनांक 01.7.1991 को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पर पारित तहसीलदार अजमेर का अपीलाधीन आदेश एवं ग्राम हाथीखेडा की विवादित भूमि बाबत नामान्तरकरण संख्या 221 दिनांक 20.4.1993 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अजमेर दिनांक 20.4.93 के नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्ववत स्थिति कायम करें, तथा नए सिरे से समस्त पक्षकार एवं प्रभावी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर आवश्यकता पडने पर नियमानुसार नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/04/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर